छठी वार्षिक आम बैठक की सूचना

Notice for Sixth Annual General Meeting

सोमवार, 22 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे

Monday, 22nd June 2015 at 10.00 A.M.

सभा स्थल AT

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड़,
कोलकाता- 700027

Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Kolkata – 700027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यलय,11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700001

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

Website वेबसाइट | **www.unitedbankofindia.com**

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस.....1

टिप्पणियां.....4

प्रॉक्सी का आवेदन.....31

उपस्थिति स्लिप, मतदान पत्र पारित करना और एंट्री पास.....33

CONTENTS

Page No.

Notice.....15

Notes.....18

Form of Proxy.....32

Attendance Slip & Entry Pass.....34

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः युनाइटेड टॉवर 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता –700001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की छठी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 22 जून, 2015 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, कोलकाता–700027 में, निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी :–

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वार प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप की रिपोर्ट की चर्चा करना

2. किसी प्रकार के संशोधन अथवा बगैर संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना

"संकल्प किया गया कि बैंकिग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और युनाइटेड बैंक (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार **(जीओआई),** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) और/अथवा इस संबंध में किसी विभाग, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड **("सेवी"),** और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी भी प्राधिकारी और उक्त शर्तों तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी से संबंधित विहित किसी संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो, अर्थात सेवी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षा) अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन)/मार्गदर्शन, यदि हो, भारतीय रिजर्व बैंक और सेवी द्वारा निर्धारित, अधिसूचना/परिपत्रों और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड अधिनियम, 1992 और सभी प्रयोज्य कानून और समय–समय पर सभी अन्य संगत प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के शर्ताधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (इसके आगे इसे **"बोर्ड"** कहा गया है, इस संकल्प के द्वारा सौंपे गए अधिकारों समेत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक समिति है और जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया है।) दी गई सहमति, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति (फार्म आवंटन और/अथवा निर्गम के उक्त भाग के प्रतिस्पर्धा के आधार पर आरक्षण हेतु प्रावधान समेत और कानून द्वारा उक्त वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुमत और प्रयोज्य) के प्रावधानों अनुसरण में, फ्लो–ऑन पब्लिक ऑफेरिंग (एफपीओ) द्वारा, राइट इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा प्रस्ताव अभिलेख, सूचीपत्र अथवा भारत या विदेश में, विहित किसी अन्य अभिलेख के माध्यम से जैसे उचित समझा जाए पूंजी निर्गम के किसी अन्य रूप में, प्रत्येक रु 10/– के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर, प्रीमियम समेत रुपए एक हजार करोड़ से अधिक नहीं, जिसे मिलाकर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु 839.52 करोड़ बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी रु 300 करोड़ के भीतर होगा अथवा भविष्य में उक्त अधिनियम के किसी संशोधन के अनुसरण में निर्धारित किसी वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक, इस प्रकार कि बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का केंद्र सरकार द्वारा धारण हमेशा 51% के नीचे नहीं होगा, चाहे वह बाजार मूल्य के प्रीमियम या बट्टा में हो, एक या अधिक चरणों में, एक अथवा अधिक सदस्य समेत, बैंक के कर्मचारी, भारतीय, अनिवासी भारतीय, **("एनआरआई"),** निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी, निवेश संस्थान, समितियां, न्यासी, खोज संस्थान, क्वालिफाइड इनस्टिट्यूशनल बायर्स **("क्यूआईबी")** अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक **("एफआईआई"),** बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्युचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं अथवा अन्य निकाय, प्राधिकारी अथवा अन्य किसी प्रकार के निवेशक, जो मौजूदा विनियम/दिशानिर्देश अथवा उपर्युक्त के संयोग से बैंक द्वारा जैसे उचित समझा जाता है बैंक के इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि** निदेशक मंडल एतद्द्वारा जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों अथवा अन्य से परामर्श करके, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेवी आईसीडीआर विनियम समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि सेवी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में–

क. सेवी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आवंटन

होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेवी आईसीडीआर विनियम के अनुसार किया जाएगा ।

ग. उक्त सेवी आईसीडीआर विनियम के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य पर 5% तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है।

"संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल एतद्द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदेशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आवंटन होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में समरूप के लिए योग्य होगा जोकि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॉरी, और सभी एजेंसी जो उक्त इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकेरेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/ वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर बट्टा अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियोंकारुपांतरण, ब्याजदर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों के आवंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एत्तद्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रीमियम राशि और सभी कार्य, उक्त कार्य को करने के लिए अपेक्षित वस्तु, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आवंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने–घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।"

3. बैंक के शेयरधारकों में से, केन्द्र सरकार को छोड़कर, एक निदेशक के निर्वाचन के संबंध में प्राप्त वैध नामांकन के अनुसरण में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बाद में "विनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (बाद में "योजना" के रूप में निर्दिष्ट) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 (बाद में विनियमन के रूप में संदर्भित), उक्त की धारा 19 के अनुसार और अधिसूचना संख्या डीबीओडी.बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर–सरकारी

निदेशक के रुप में निर्णय लेने हेतु विहित मौजूदा शर्तों 25 मार्च, 2015 (पत्र एफ. सं. 16/51/2012 बी ओ–1 दिनांक 28.04.2015 द्वारा प्रेषित) में और निर्वाचन के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाता है:–

"संकल्प पारित किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के साथ पठित संबंधित योजना, उसके तहत बनाए गए विनियम, आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसरण में केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों से को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया, जो एत्तद्वारा बैंक के निदेशक के रुप में उक्त तारीख से अगले निर्वाचन की तारीख तक और उक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि पूरा करने तक कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे ।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह/–
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांकः 07 मई, 2015
स्थानः कोलकाता

टिप्पणियां:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक को बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है, तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(ii) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता–700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 17 जून, 2015, बुधवार को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए ।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा ।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, कि अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700001 में 17 जून, 2015, बुधवार को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र एवं मतदान – पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु सूचना में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र और मतदान पास पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थित हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 12 के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक के अंतरण बही को वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से मंगलवार, 16 जून, 2015 से सोमवार, 22 जून, 2015 तक (दोनों दिनों समेत) बंद रखा जाएगा।

5. शेयरधारकों से अनुरोध

5.1. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पतों पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं।

5.2. खाते की जानकारी

अपने खाते के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी जानकारियों को तैयार रख सके ।

5.3. पतों के परिवर्तन को अधिसूचित करना

शेयरधारकों को उनके पते या बैंक खाते के विवरण में हुए किसी परिवर्तन से निम्नलिखित को अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है–

क. इलेक्ट्रानिक रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को

ख. प्रत्यक्ष रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर–

लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.
(इकाईः युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
59सी, चौरंगी रोड, 3रा तल
कोलकाता– 700020

5.4. स्थिति के परिवर्तन की रिकार्डिंग

गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने से रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., को तत्काल सूचित करें–

क. भारत वापस आनेपर स्थायी बंदोबस्त के लिए उनकी आवासीय स्थिति

ख. भारत में बैंक खाता का विवरण पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एमआईसीआर कोड, आईएफसी कोड, बैंक का पता एवं पिन, के साथ, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया हो

6. अदावे शेयर

अदावे शेयरों का विवरण निम्नलिखित हैः

01.04.14 तक	वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर	दिनांक 31.03.2015 तक उचंत खाते में शेष राशि
6707	300	6407

अदावे/बकाया शेयरों के संबंध में मदतान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेंगे ।

7. शेयरधारकों की पूछताछ

यह सराहनीय होगा कि यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न, यदि कोई हो तो, को पर्याप्त समय रहते भेज दें, तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथी मंजिल,
11, हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता 700001

अथवा ई–मेलः investors@unitedbank-co-in

8. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

9. ई–मतदान

दिनांक 07 मई, 2015 को बैंक की वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रानिक रुप से मतदान करने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों को सक्षम करने हेतु सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार बैंक ई–मतदान की सहर्ष सुविधा प्रदान करता है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और

पारदर्शी तरीके से ई– वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है। ई– मतदान वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के ई–मतदान अधिकार सोमवार, 15 जून, 2015 तक (निर्धारित तिथि) उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर मद सं. 1 और 2 के संबंध में स्वीकार किया जाएगा। मद सं. 3 के संबंध में, मतदान अधिकार शुक्रवार, 22 मई, 2015 (निर्दिष्ट तारीख) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर स्वीकृत किया जाएगा ।

i) मतदान की अवधि 19 जून 2015 शुक्रवार को प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होकर 21 जून 2015 रविवार को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रुप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो, जिसकी निर्धारित तारीख और / या निर्दिष्ट तारीख जैसा भी मामला हो, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

ii) मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई–मतदान के लिए वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर लॉगइन करें ।

iii) "शेयरहोल्डर्स" टैब पर क्लिक करें ।

iv) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर के डीपी आईडी

ग. भौतिक रुप में शेयर धारण किए हुए सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियों संख्या दर्ज करें

v) प्रदर्शित इमेज वेरीफिकेशन को दर्ज करें और लॉगिंन पर क्लिक करें।

vi) यदि आप डीमैट के रुप में शेयर धारण करते हैं और **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन किए थे और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किए हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

vii) यदि आप प्रथमवार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें

	डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक 'पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ–साथ भौतिक रुप के शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें।** अर्थात् यदि आपका नाम रमेश कुमार है तो क्रम संख्या 1 के साथ पैन फिल्ड में आरए00000001 दर्ज करें।
जन्म–तिथि	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि या फोलियो संख्या डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	उक्त डीमैट खाते या फोलियो के लिए आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या बैंक रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण की प्रविष्टि करें। • लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो कृपया अपनी सदस्यता आईडी / फोलियो सं. उक्त दिशानिर्देश (vii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें ।

viii) इन ब्योरों को भरने के बाद उचित रुप से "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

ix) भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य इसके बाद, कंपनी चयनित स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें, जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी की संकल्पनाओं के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत ध्यान दें।

X) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्योरा का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है ।

XI) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए ईवीएसएम पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं ।

XII) मतदान पृष्ठ पर, आप "रिजोल्यूसन डिस्क्रिपश्न" देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प नहीं रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

XIII) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो "रिजोल्यूसन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

XIV) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, "रद्द (कैंसल)" पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

XV) रिजोल्यूसन पर आप अपना वोट एक बार "पुष्टि" कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XVI) वोटिंग पृष्ठ को "मुद्रित करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

XVII) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण के अनुसार प्रविष्टि करें।

XVIII) संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात – व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पावर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

XIX) यदि आपको ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो यह सामान्यतः पूछे जाने वाले सवाल ("एफ ए क्यू") पर और ई–वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर आप ई–मेल करें।

महत्वपूर्णः शेयरधारक कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2 ईवीएसएनएस है– पहला मद संख्या 1 और 2 प्रस्तावों से संबंधित है, जिसका मतदान शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए शेयरों के अनुसार 15 जून 2015 (निर्धारित तिथि) को होगा और दूसरा मद संख्या 3 के प्रस्तावों से संबंधित है, जिसका मतदान शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए शेयरों के अनुसार 22 मई 2015 (निर्दिष्ट तिथि) को होगा।

10. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची मदें सहित चुनाव ई–वोटिंग मतदान द्वारा किया जाएगा। जो ई–वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे बैठक की तारीख को एजीएम स्थल पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होंगे। इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद मतपत्र बैठक के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा और यह अपराह्न 1:00 बजे तक या बैंक द्वारा निर्धारित समय तक किया जा सकता है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को सूचना पत्र के साथ भेजा गया या पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के सौंपने के बाद ही उन्हें स्थापित काउंटरों पर मतपत्र जारी किया जाएगा। मद संख्या 1 एवं 2 से संबंधित निर्धारित तारीख यानी 15 जून 2015 को और मद संख्या 3 से संबंधित निर्दिष्ट तारीख यानी 22 मई 2015 को वोटों की संख्या उनके द्वारा धारण किए गए शेयरों की संख्या के बराबर होगा ।

11. ई वोटिंग और चुनाव के परिणामों

ई–वोटिंग और चुनाव की समेकित परिणाम की घोषणा बैठक के अंत में की जायेगी और यह बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

12. चुनाव में संवीक्षक

जैसा कि पहले ही ई–वोटिंग हेतु संकेत दिया गया है कि कार्य–सूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में, मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कंपनी के कंपनी सचिव संवीक्षक होंगे। बैठक के दौरान आयोजित मतदान में वे एक शेयरधारक के साथ संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

चुनाव के मतदान बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में, एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कंपनी (स्वतंत्र परामर्शदाता और संवीक्षक) और केन्द्रीय सरकार के नामित व्यक्ति की देखरेख में की जाएगी, जो एक पर्यवेक्षक और दूसरे संवीक्षक के रूप में कार्य करेगा।

13. तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

13.1 कार्य सूची मद संख्या – 2

क) बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में बैंक है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रू. 3000 करोड़ है। 31 मार्च 2013 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू. 839.51 करोड़ था।

ख) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार बेसल III के नियमों के तहत, बैंक को निम्नलिखित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है–

कोर इक्विटी	5.5%
कुल टीयर I	7.0%
कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.0%

ग) वर्तमान में, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी रू.688.43 करोड़ है। यह बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी की 82.003% है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नांकित थी ।

ब्योरा (31.03.15 को)	राशि रू. करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि का % (बेसल III के तहत)
जोखिम भारित आस्तियां	66798	
टीयर I पूंजी	5021	7.52
टीयर II पूंजी	2034	3.05
कुल पूंजी	7055	10.57

घ) 31.03.2016 तक बैंक अपने व्यापार को बढ़ाकर – आस्ति और देयता दोनों को, रू. 200,000 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा है।

ड.) अनुमानित व्यापार के विकास के लिए और स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने के लिए बैंक को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

च) संशोधित प्रतिभूति संविदा विनियम नियम 1956 के अनुसार, बैंक को अगस्त, 2017 तक कम से कम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता (गैर–प्रवर्तक शेयरधारिता) सुनिश्चित करनी है । वर्तमान में, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 17.997% है ।

छ) लक्ष्यित व्यवसाय वृद्धि के विस्तार और प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु और बैंक के सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे ऐसी कीमत पर प्रत्येक रु. 10/– के इक्विटी शेयर जारी करने के उद्देश्य से, जिसे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार निर्गम या सर्शत संस्थागत स्थापन(नों), या ऐसे अन्य सुयोग्य माध्यमों के जरिए बंद करने का निर्धारण किया जा सकता है।

ज) क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा उपर्युक्त इक्विटी शेयर जारी करने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना हैं कि:

i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII के अनुसरण में इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से संगत तारीख और/अथवा अन्य विनियम, जिसमें बोर्ड अथवा समिति इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम खोलने के लिए प्राधिकृत है, और अन्य प्रयोज्य प्रावधान के अनुसार सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने पर, उक्त अधिनियम और अन्य प्रयोज्य कानून, नियम, विनियम और इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश, अगर कोई हो तो, निर्धारित तारीख वही होगा।

ii. चूंकि प्रस्ताव की कीमत बाद के चरण के अलावा निर्धारित नहीं की जाएगी, जारी किए जानेवाले शेयरों की कीमत उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि, वह सेवी आईसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक के (शेयर एवं बैठक) अधिनियम तथा समय–समय पर जारी किसी अन्य दिशानिर्देश / विनियम / सहमति, जैसा प्रयोज्य अथवा के प्रावधान के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

iii. पूर्ण प्रदत्त शेयरों का निर्गम एवं आवंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अनुसरण में केवल क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को किया जाएगा और उपर्युक्त संकल्प पारित करने की तारीख से 12 माह के भीतर आवंटन का कार्य पूरा किया जाएगा।

iv. उक्त प्रस्ताव के लिए विस्तृत शर्तें सलाहकार, अग्रणी प्रबंधक एवं हामीदारों और अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों जैसा अपेक्षित है, के साथ परामर्श करते हुए स्थिर किया जाएगा और मौजूदा बाजार व्यवस्था और अन्य विनियामक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

v. उक्त उपायों से जुटायी गई राशि समग्र आवंटन समेत प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित शर्तें, अगर हैं, विगत वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक के निवल मालियत का 5 गुने से अधिक नहीं होगा ।

vi. प्रतिभूतियां आवंटित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियम द्वारा समय–समय पर अनुमत को छोड़कर, वह अंतरित / बिक्री के लिए योग्य नहीं होंगी ।

vii. आवंटित इक्विटी शेयर, लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सभी दृष्टि से समरुप के लिए विवेचित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त कारणों के चलते, इस मुद्दे के मामले को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए संकल्प पारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति हेतु निवेदन किया जाता है।

नोटिस में उल्लेख संकल्प को पारित करने के लिए निदेशक मंडल सिफारिश करती है।

बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के अलावा, बैंक के कोई भी निदेशक उपरोक्त संकल्प (ओं) में रुचि नहीं रखते हैं या संबंधित नहीं है।

13.2. कार्यवृत मद संख्या 3

I. निदेशकों का चुनाव करने के शेयरधारकों के अधिकार

वर्तमान में बैंक की चुकता पूंजी रू. 839.51 करोड़ है जिसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी, जो वर्तमान में 17.997% है। बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (क) के मामले में केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों से बैंक को (2) निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है। आज की तारीख तक श्री प्रत्युष सिन्हा एक मात्र शेयरधारक हैं।

एक और शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने की दृष्टि से, बैंक ने उक्त विनियम के तहत केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक के निदेशक का चुनाव करने, विनियम के कार्यकाल में बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने का फैसला किया है. इसलिए लागू अधिनियम, नियम, विनियम, योजनाएं, और अधिसूचना में विस्तृत निम्न प्रक्रियाओं के अनुसार शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा अन्य) नामांकन, जिनमें से प्रासंगिक अंश यहां संकेत कर रहे हैं, भेजने के हकदार हैं।

निर्वाचित एक निदेशक, अपने चुनाव की अगली तिथि से कार्यालय में उत्तरदायित्व संभालेंगे और तीन (3) साल की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

II. कानूनी प्रावधान

निम्न तालिका विभिन्न अधिनियमों / विनियमन अधिनियम / योजना / विनियम / इस संबंध में लागू अधिसूचना में निहित प्रावधानों को इंगित करता है:

अधिनियम / योजना / नियमों / सूचनाएं	प्रावधान	लघु विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन – ई) धारा 16 (1) धारा 20	• पर्याप्त अभिरूचि • आम निदेशक के लिए निषेध • अपने निदेशकों में से किसी की ओर से ऋण या अग्रिम देने के लिए प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2 ई)	• मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध

अधिनियम / योजना / नियमों / सूचनाएं	प्रावधान	लघु विवरण
	धारा 9 (3) (क)	• शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) और (सी)	• कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9 (3 एए)	• आरबीआई द्वारा निर्धारित अपने ट्रैक रिकॉर्ड, के आधार पर सही स्थिति, अखंडता और इस तरह के अन्य मानदंडों पर आधारित उचित स्थिति रखने वाले एक व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के पात्र होंगे.
	धारा 9 (3एबी)	• 'फिट एवं उचित' स्थिति पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकार और प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करना है।
	धारा 9 (3 बी)	• निर्वाचित निदेशक जो धारा 9 (3) और 9 (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो उसे हटाने के लिए आरबीआई का अधिकार होगा.
	धारा 13 (2)	• निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	धारा 9 (4)	• निर्वाचित निदेशकों की पदावधि
	खण्ड 10	• बैंक के एक निदेशक के रूप में चुने जाने से निरर्हताएं
	खण्ड 11	• निदेशक के कार्यालय के अवकाश
	खण्ड 11ए	• एक निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना
	खण्ड 11बी	• एक निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खण्ड 12 (8)	• कुछ व्यवस्था में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण.जिसे वे चाहते हैं।
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010	विनियमन 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों के उपयोग
	विनियमन 53	• आम बैठक में वोटिंग
	विनियमन 55	• निदेशकों की आम बैठक में निर्वाचित होना
	विनियमन 56	• शेयरधारकों की सूची
	विनियमन 57	• संयुक्त धारकों के अधिकारों के उपयोग
	विनियमन 58	• आम बैठक में वोटिंग
	विनियमन 59	• निदेशकों की आम बैठक में निर्वाचित होना
	विनियमन 60	• शेयरधारकों की सूची
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010	विनियमन 61	• विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग
	विनियमन 62	• प्रॉक्सी

अधिनियम / योजना / नियमों / सूचनाएं	प्रावधान	लघु विवरण
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या DBOD.No. BC.No.46 और 47 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांक 01.11.2007 और No.DBOD.BC.No.95 / 29.39. 001 / 2010–11 दिनांक 23.05. 2011	बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एबी), 9(3एए) और धारा 9 के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए सही और उचित मापदंड
भारत सरकार के पत्र ,एफ. सं. 16 / 83 / 2013 बी ओ–1 दिनांक 3.12.2013 और पत्र सं. 16 / 51 / 2012–बी ओ–1 दिनांक 28.04.2015 के अनुसार सरकारी उपक्रम के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के तौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मानदंड		सरकारी उपक्रम के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के तौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मानदंड
भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी डीआई आर. बी.सी. 16 / 13.3.00 / 2014–15 दिनांक 01.07.2014		निदेशकों के संबंधियों को ऋण और अग्रिम प्राप्त करना
सूचिबद्ध करार के संभोधित खंड 49		स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रावधान

क. प्रासंगिक अधिनियमों के निष्कर्षों / विनियमन अधिनियम / योजना / नियमों / आरबीआई सूचनाएं आदि.

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस अधिनियम से प्रासंगिक भाग, विनियमन अधिनियम, योजना / नियमन के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. BC.No.46 और 47 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांक 01.11.2007 और DBOD.BC.No.95 / 29.39.001 / 2010–11 दिनांक 23. 05.2011 अंशकालिक गैर–कार्यालयीन निदेशक के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई शर्तें, जिसे बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com में प्रदर्शित किया जाएगा। नामांकन प्रपत्रों अर्थात प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख. **06 जून 2015 या इससे पहले कंपनी सचिव, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, युनाइटेड टॉवर, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता** को संबोधित एक अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई–मेल कर दिया जाएगा (ई–मेल पता: investors@unitedbank.co.in)

ख. निर्धारित तिथि

बैंक पहले ही शुक्रवार, 22 मई, 2015 की तिथि को शेयरधारकों का पता लगाने के लिए अधिसूचित किया है जो चुनाव में नामांकन, भागीदारी और वोट में भाग लेने के हकदार होंगे।

ग. बैंक के एक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3 ए) के संदर्भ में बैंक का शेयर होल्डर जो एक प्रत्याशी होना चाहता है और, अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसे
 क. मुख्यत: निम्नलिखित मामलों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखना होगा :–
 I. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 ii. बैंकिंग
 iii. सहयोग
 iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. कानून

vii. लघु उद्योग

viii. किसी भी अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के अभिमत में बैंक के लिए उपयोगी हो।

ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है; या

ग. किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) के मामले में और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का एक शेयरधारक जो बैंक के निदेशक होने की इच्छा रखता हो उसे 'फिट और उचित' की स्थिति का निर्वाह करना चाहिए। भारत सरकार की सलाह के अनुसार और इसके 3 सितंबर 2013 और 28 अप्रैल 2015 के पत्र के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशक के "फिट और उचित स्थिति" का निर्धारण करते समय भी गैर सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रख सकते हैं। भारत सरकार ने 25 मार्च 2015 (दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के पत्र द्वारा सूचित) पर दिशा–निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें (ए) अनुभव (बी) शैक्षिक योग्यता (सी) आयु (डी) कार्य अनुभव (ई) अयोग्यता और (एफ) कार्यकाल के मानदंड को शामिल किया गया है एवं जिसका विवरण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://financialservices.gov.in/nod/ पर देखा जा सकता है और बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर भी उपलब्ध है।

3. इसके अलावा निर्वाचित निदेशक को करारमूलक विलेख निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है।

घ. बैंक के एक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निरर्हता

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के संदर्भ में, एक व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया जा सकेगा:

क) अगर वह किसी भी समय दिवालिया हो गया है या भुगतान को रद्द कर दिया गया है या अपने लेनदारों के साथ धोखा किया है; या

ख) अगर वह अस्वस्थ मन का होना पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

ग) अगर वह किसी अपराध के लिए अपराधिक अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है; जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

घ) बैंक के कर्मचारियों के बीच अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत प्रबंध निदेशक और नामित निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के लिए को छोड़कर यथा परिभाषित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के धारा 3 में भारतीय स्टेट बैंक, 1955 या किसी सहायक बैंक की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन गठित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है।

(ङ) प्रतियोगियों के लिए शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव में लड़ने के लिए, विनियम 56 के विनियमन के अनुसार शेयरधारकों की एक पूरी सूची, निर्धारित तिथि यानी, शुक्रवार, 22 मई, 2015 तक की, 1 जून, 2015 के बाद युनाइटेड बैंक के पक्ष में आहरित किसी भी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के द्वारा रू.10/प्रति पेज (रू.10 प्रति पेज). पूर्व भुगतान करने पर शेयरधारकों को शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, युनाइटेड टॉवर, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001 में बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध हो जाएगा। शेयरधारकों की सूची केवल सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध होगी। इच्छुक उम्मीदवार जो इसे खरीदना चाहते हैं, वे इस सूची चुनाव के लिए प्रचार में इस्तेमाल करने और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करने हेतु एक घोषणा–पत्र देंगे।

च. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय (रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) सभी कार्य दिवसों में अर्थात सोमवार से शनिवार तक पूर्वाह्न 11:30 से अप. 1:30 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की एक प्रतिलिपि या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है तो रु 10 / की प्रति पेज के दर से पूर्व भुगतान करने पर अपेक्षित प्रति या रजिस्टर के कंप्यूटर प्रिंट की नकल की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि, सदस्यों द्वारा उसका सार बिना किसी लागत के लिया जा सकता है।

छ. चुनाव में भागीदारी

एनएसडीएल / सीडीएसएल / एसटीए द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार ऐसे शेयरधारकों के जिनके नाम शेयरधारकों / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर पर शुक्रवार, 22 मई, 2015 तक हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच में से निदेशक के चुनाव में नामांकन, उम्मीदवार के रूप में लड़ने और वोट देने में भागीदारी के पात्र होंगे।

नियमन 60 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो 22 मई, 2015 तक की सुनिर्दिष्ट तिथि तक, एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, आयोजित आम बैठक की तारीख से पहले, उसके / उसकी द्वारा रखे गए / रखी गयी प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

ज.चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

नामांकन की वैधता

उक्त विनियम 57 के विनियम के संदर्भ में और भारतीय रिजर्व बैंक के डीबीओडी सं. बीसी सं.46 एवं 47 / 29.39.001 / 2007–08 दिनांकित 01.11.2007 सं. डीबीओडी.बीसी सं. 95 के साथ पठित / 29.39.001 / 2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के मामले में चुनाव के लिए विभिन्न अधिनियमों की अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक उम्मीदवार का नामांकन मान्य होगा बशर्ते कि:

- **22 मई, 2015 शुक्रवार** तक उस शेयरधारक के पास चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित (रेकॉर्ड) दिनांक तक बैंक के 100 शेयर हैं और उसके बाद अपने कार्यकाल के अंत तक, कम से कम (एक सौ) 100 से अधिक शेयर हैं.
- उक्त विनियमन अधिनियम / योजना / विनियमन / भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना भारत सरकार के निर्देश और दिशानिर्देश के मुताबिक **शनिवार, 6 जून, 2015** तक वह अधिनियम के तहत एक निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है;
- उक्त अधिनियम के तहत नामांकन लिखित होना चाहिए, जिस पर कम से कम एक सौ (100) शेयरधारकों, जो निदेशक के चयन के लिए हकदार हैं, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, बशर्ते कि शेयर धारक द्वारा नामांकन, जोकि उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा गठित एक कंपनी है, और उक्त कंपनी द्वारा संकल्प जो कि अध्यक्ष द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जिसे **कंपनी सचिव, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, युनाइटेड टॉवर, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001** को संबोधित उक्त प्रतिलिपि को भी नामांकन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा (न्यूनतम 100) नामांकन, सूचना में दिए गए प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रपत्र और उदघोषणा दिया जाना चाहिए जिसे विधिवत एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी के सामने उक्त उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है कि वह चुनाव में लड़ना चाहता है, और वह बैंककारी विनियमन अधिनियम अथवा उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम के तहत, एक निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।

नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र विनियमन द्वारा निर्धारित है प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर भी उपलब्ध है

झ.नामांकन फार्म प्रस्तुत करना

शेयरधारक, जो बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, निम्न रूप से प्रस्तुत करें:

क) विधिवत भरे गए घोषणा पत्र

ख) नामांकन प्रपत्र कम से कम एक सौ (100) शेयरधारक इस चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं

ग) जुड़े दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और प्रशंसापत्र, अर्थात् सूचना पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव, आदि

नोटिस के साथ निर्धारित प्रपत्र को एक सीलबंद लिफाफे में **कंपनी सचिव, शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, युनाइटेड टॉवर, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001, को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ** एक कार्य दिवस पर **कम से कम चौदह दिन** पहले अर्थात आम बैठक शनिवार, 6 जून 2015 को अप. 2:00 बजे तक जमा कर दिया जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द किया जा सकता है।

ञ.नामांकन की जांच।

- नामांकन **सोमवार 8 जून 2015** को बैंक द्वारा जांच किया जाएगा, नामांकन की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख से एक दिन पहले अगर यह देखा जाता है कि किसी भी नामांकन वैध होने के लिए नहीं मिला है, उसे रेकॉर्ड करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार नामांकन के मामले में बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा अपने 'फिट और उचित स्थिति' निर्धारित करने के लिए जांच के अधीन किया जाएगा।

- चुनाव के लिए अगर एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन मिलता है तो उसे अविलंब चयन किया जा सकता है और उनका नाम व पता प्रकाशित किया जाएगा तथा वह अगले दिन से कार्यालय संभालेंगा। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक रद्द समझी जाएगी।
- अगर वैध नामांकन एक से अधिक हैं, उम्मीदवारों का नाम अखबारों और उम्मीदवार मतदान में प्रकाशित किया जाएगा, वह चुनाव में वोट के बहुमत निर्वाचित किया गया है समझा जाएगा और उसका नाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किया जाएगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। उन्हें अगले दिन कार्यालय संभालना होगा।
- किसी भी विवाद को नियमन 59 के विविनियम के अनुसार तय किया जाएगा।

ट. बैठक के दिन चुनाव प्रक्रिया

जैसे कि पहले सूचित किया गया कि निदेशक के चुनाव के लिए निर्वाचन भी **इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ई–वोटिंग) दिनांक 19 जून 2015, शुक्रवार को पूर्वाहन 10:00 बजे से 21 जून 2015, रविवार अप. 5:00 बजे तक किया जाएगा।**

एजीएम में उल्लिखित स्थान के अनुसार मतदान होगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा के तुरंत बाद ही बैलट पेपर जारी किया जाएगा जो कि अप. 1:00 बजे तक जारी रहेगा। बैलट–पैपर काउंटर पर शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पंजीकरण के समय पर जारी / संलग्न मतदान के पेपर–पास के समर्पण पर अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए स्थापित काउंटरों पर जारी किया जाएगा। शुक्रवार, 22 मई, 2015 (निर्धारित तिथि) तक मतदान की संख्या उनके द्वारा शेयरों के बराबर होगा।

शेयरधारक बैलट पेपर में अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक रबड़ स्टांप (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग और बैलट बॉक्स में उन्हें जमा कर सकते हैं।

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिचालित की जाएगी और बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार कार्य करेगा जो केन्द्रीय सरकार के नामिती की देख–रेख में होगी जोकि एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

ठ. उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेना

कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो गुरुवार, 18 जून, 2015 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से पूर्व या दोपहर 2:00 बजे से पहले ऐसा करने के हकदार होंगे।

ड. नामांकन आवश्यक फार्म / घोषणाओं और संबंधित कानूनी प्रावधान बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर अपलोड किया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवार की माँग पर कंपनी सचिव, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता–700001 द्वारा आपूर्ति किया जाएगा, या investors@unitedbank.co.in ईमेल द्वारा शनिवार, 6 जून, 2015 को या पहले भेज दिया जाएगा

ढ. निदेशकों के हित में

बैंक के निदेशक यदि चुनाव में भाग लेते हैं तो उक्त व्यापार मदों के बारे में रूचि रखते हैं, समझा जा सकता है।

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
ह/–
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 7 मई 2015

(वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जा रही है)

UNITED BANK OF INDIA

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

Notice

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Sixth Annual General Meeting of the shareholders of United Bank of India will be held on Monday, June 22, 2015, at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata – 700027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

 "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**") and/or any department thereof, the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations)/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of Follow-on Public Offering (FPO), Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP) or such other form of capital issue as may be felt appropriate through issue of an offer document, prospectus or such other document as may be prescribed, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10 each not exceeding Rupees One Thousand Crore including premium which together with the existing paid-up equity share capital of Rs.839.52 crore shall be within the total authorized capital of the Bank i.e. Rs.3000 crore as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of any enhanced Authorised Capital prescribed pursuant to any Amendment to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the total paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies–private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

 RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to decide the price(s) of the issue(s)

in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise, the terms and conditions of the issue(s), as the Board may in its absolute discretion decide in accordance with such laws, rules, regulations including SEBI ICDR Regulations, guidelines, notifications, directions as may be applicable.

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b. the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

c. The Bank pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the aforesaid floor price".

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the fresh equity shares to be issued be subject to the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended and shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements agreements, memoranda, documents, etc. with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board in its absolute discretion, whether or not in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, disposing off the unsubscribed shares/ securities in an issue as permissible under applicable laws, rules & regulations, as the Board may deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine in its absolute discretion the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as the Board may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions as the Board may in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution be exercised by the Board of Directors."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO and/or the Executive Director/(s) for giving effect to the aforesaid Resolutions."

3. To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(I) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos.DBODNo.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 and No.DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") read with extant criteria laid down by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 (GOI Guidelines communicated vide letter F. No. 16/51/2012-BO.1 dated April 28, 2015) and AFTER ELECTION pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Notification and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date: May 7th, 2015
Place: Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 62 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(II) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investor Grievances Cell**, Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700-001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of **Wednesday, JUNE 17, 2015**.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed a Proxy who is an employee of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

Pursuant to Regulation 61 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder, being the Central Government or Company, may by resolution, as the case may be authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholders of the Bank.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 61(II) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, no person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as such certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investor Grievances Cell**, Head Office, 11 Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of **Wednesday, JUNE 17, 2015**.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS & BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass and ballot paper pass is annexed to the Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 the Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from, **Tuesday June 16, 2015 to Monday June 22, 2015**

(both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

5.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report.

5.2. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

5.3. Notifying Change of Address

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent in respect of shares held in physical form at the following address –

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd floor,
Kolkata – 700020

5.4. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India for permanent settlement.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFS code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

6. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

As on 01.04.14	Shares transferred during the Year	Balance in Suspense Account as on 31/03/15
6707	300	6407

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owners.

7. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the–

Share Department & Investors Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hementa Basu Sarani,
Kolkata-700001
or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

8. Voting Rights

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

9. E-Voting:

The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Clause 35B of the Listing Agreement, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of the Annual General Meeting dated May 7, 2015. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of Item No. 1 and 2 on the equity shares held by them as on Monday, June 15, 2015 (the Cut-off Date). In respect of Agenda item No. 3, the voting rights would be reckoned on the equity shares held by them on Friday, May 22, 2015 (the Specified Date)

(I) The voting period begins at 10.00 hrs on Friday, June 19, 2015 and ends at 17.00 hrs on Sunday, June 21, 2015. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date and /or Specified Date, as the case may be, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period

(iii) Click on **"Shareholders"** tab.

(iv) Now Enter your **User ID**

a. For CDSL: **16 digits beneficiary ID,**

b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,**

c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Bank.**

(v) Next enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login.**

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric ***PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	• Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.** • **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.
Dividend Bank Details	Enter the **Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio. • Please enter the **DOB or Dividend Bank Details in order to login.** If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (vii).

(viii) After entering these details appropriately, click on "**SUBMIT**" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option YES or NO as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xv) Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image erification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) **Note for Institutional Shareholders**

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Important: Shareholders may please note that there will be 2 EVSNs for United Bank of India – one shall cover the resolutions pertaining to item nos. 1 & 2 on which voting shall take place on the basis of shares held by the shareholders as on June 15, 2015 (Cutoff Date) and the other shall cover the resolution pertaining to item no.3 on which voting shall take place on the basis of shares held by the shareholders as on May 22, 2015 (Specified Date).

10. POLL PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items including Election shall be done by e-voting as well as by Poll. Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Ballot Papers will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue up to 1.00 p.m or such extended time as may be fixed by the Bank. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 15th June 2015 in respect of items No. 1 and 2 and Specified Date i.e., 22nd May 2015 in respect of item No. 3.

11. RESULTS OF E-VOTING AND POLL

The consolidated results of e-Voting and Poll will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and CDSL.

12. SCRUTINIZERS AT POLL

As already indicated for E-Voting, M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of agenda items No. 1 and 2. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the Poll to be conducted at the Meeting.

The Poll on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank, S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. (Independent Consultant & Scrutinizer) and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second Scrutinizer.

13. Explanatory Statement Setting Out Material Facts

13.1 Agenda Item No.2

a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000cr. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2015 was Rs.839.51cr.

b) Under BASEL-III norms, the Bank is required to maintain the following Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2015 as under –

Core	5.5%
Total Tier I	7.0%
Total CAR	9.0%

c) Presently, the shareholding of Government of India in the Bank is Rs.688.43cr. constituting 82.003% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2015 was as under.

Particular (As on 31.03.15)	Amount Rs. in cr.	% of capital funds to risk weighted asset (under BASEL III)
Risk Weighted Assets	66798	
Tier-I Capital	5021	7.52
Tier-II Capital	2034	3.05
Total Capital	7055	10.57

d) The Bank is targeting to grow its business – both on asset and liability sides to cross Rs.200,000cr. mark by 31.03.2016.

e) To support the projected business growth and at the same time maintain healthy CRAR the Bank may require to raise additional capital from the market.

f) As per amended Securities Contract Regulations Rules 1956, the Bank has to ensure at least 25% public shareholding (non-promoter shareholding) by August 2017. At present, the public shareholding in the Bank is 17.997%.

g) In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes the Bank proposes to issue equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined close to the issue by way of Follow-on Public Offer or Rights Issue or Qualified Institutional Placement(s), or such other suitable means.

h) In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a ***later*** stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank's (Shares and Meetings) Regulations, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead

Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested to the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

13.2 Agenda Item No.3

i. RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

The paid-up capital of the Bank is presently Rs.839.51cr. in which the public shareholding is 17.997%. In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders other than the Central Government are entitled to elect two (2) directors from amongst themselves to the Board. Shri Pratyush Sinha is the only shareholder Director as on date.

The Bank desires to conduct an election process in its forthcoming Annual General Meeting with a view to elect one Shareholder Director. The shareholders, other than the Central Government, are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in applicable Acts, Rules, Regulations, Schemes, and Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

A Director so elected shall assume office with effect from the date next to his date of election, and will hold office for a period of three (3) years from the date of his assumption.

ii. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Section (3) (l) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13(2)	• No. of directors to be elected by the shareholder • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • RBI to specify the authority and procedure to determine fit & proper status. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010	Regulation 10 Regulation 53 Regulation 55 Regulation 56 Regulation 57 Regulation 58 Regulation 59 Regulation 60 Regulation 61 Regulation 62	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks issued, read with GOI letter No. F. No. 16/ 83/ 2013 - BO.1 dated 3rd September 2013 and letter No.16/51/2012- BO.1 dated April 28, 2015		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 16/13.3.00/2014-15 dated July, 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors
Revised clause 49 of the Listing Agreement		Provisions related to Independent Directors

a. EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/ THE REGULATION ACT/ SCHEME/ REGULATIONS/ RBI NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and criteria laid down by central govt. for part time non-official directors will be hosted on the Bank's website www.unitedbankofindia.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the **Company Secretary, Share Department & Investor Grievance Cell, United Bank of India, United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001 [email address: investors@unitedbank.co.in]**, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Saturday, June 6, 2015.**

b. SPECIFIED DATE

The Bank has already notified Friday, May 22, 2015 as the Specified Date to ascertain the shareholders who will be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in the Elections.

c. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - a have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
 - b represents the interest of depositors; or
 - c represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status. Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 and 28th April 2015 the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has revised the guidelines on March 25, 2015 (communicate vide letter dated April 28, 2015), which covers Criteria of (A) Experience (B) Educational Qualification (C) Age (D) Work Experience (E) Disqualification and (F) Tenure, the details of which can be viewed on the website of GOI, MOF, at http://financialservices.gov.in/nod/ and also available at Bank's website i.e. www.unitedbankofindia.com.

3. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

d. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

e. LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 56 of the Regulations, as on the Specified Date i.e., Friday, May 22, 2015 will be available at Head Office of the Bank at **Share Department & Investor Grievance Cell, United Bank of India, United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001**, from Monday, June 1, 2015 onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs10/- per page (Rupees Ten per page) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of '**United Bank of India**' payable at Kolkata. The list of Shareholders will be made available in soft copy only. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election only and shall not be used for any other purpose whatsoever.

f. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders shall also remain open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Saturday between 11.30 a.m. to 1.30 p.m.. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.10/- per page required to be copied. However, extracts may be taken by the members free of cost.

g. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/ STA as on **Friday, May 22, 2015**, shall be entitled to participate i.e. Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 60 each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday May 22, 2015**, the **Specified Date**, prior to the date of a general meeting, shall have one vote for each share held by him /her.

h. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 57 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBODNo.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- he is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on **Friday, May 22, 2015** being the Specified Date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the end of his tenure, if he is elected as a Director.
- as on **Saturday, June 6, 2015** he/ she is not disqualified to be a Director under the Act/Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/ GOI Guidelines and directions.
- the nomination is in writing signed by at least one hundred (100) shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the **Company Secretary, Share Department & Investor Grievance Cell, United Bank of India, United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and available on the Bank's website www.unitedbankofindia.com.

I. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election for the Directorship of the Bank should submit –

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of one hundred (100) shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in prescribed formats (may be downloaded from Bank's website www.unitedbankofindia.com), in a sealed envelope to the **Company Secretary, Share Department & Investor Grievance Cell, United Bank of India, United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001**, together with connected documents, complete in all respects, on a working day **not less than fourteen days** before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., **2:00 p.m.** on **Saturday, June 6, 2015** failing which, the nominations will be liable to be rejected.

j. SCRUTINY OF NOMINATIONS.

- Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Monday June 8, 2015**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) therefor.

- The Nomination Committee of the Board (NCB) in terms of Reserve Bank of India Notification shall also subject valid Nominations to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status'.
- If there is only one Valid nomination which is also found to be Fit & Proper by NCB for the only vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and addresses shall be published as elected and shall assume office from the next day. In such an event the relevant agenda item in the Annual General Meeting will stand withdrawn.
- If valid nominations are more than one, the name of the candidates shall be published in the newspapers and candidate polling the majority of the votes at the election shall be deemed to have been elected and his name will be announced by the Chairman / Managing Director & CEO and also published in newspapers. He will assume office on the next day.
- If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Regulations.

k. Poll Process on the day of the Meeting

As already indicated Voting for Election of Director too **may be done electronically (e-voting) from 10.00 hrs. on Friday, June 19, 2015, to 17.00 hrs. on Sunday June 21, 2015.**

Poll will also be conducted at the AGM venue. The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the Meeting and continue up to 1.00 p.m. or such extended time as may be decided by the Bank. The Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/proxy holders/authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass attached/ issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by the shareholders as on Friday, May 22, 2015 (Specified Date).

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

l. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before **2.00 p.m.** on **Thursday, June 18, 2015.**

m. Necessary Forms/Declarations required for filing of nomination and relevant legal provisions shall be uploaded on the Bank's website www.unitedbankofindia.com and shall be supplied to the intending candidate upon requisition addressed to the Company Secretary, United Bank of India, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001 or by email to investors@unitedbank.co.in **on or before Saturday, June 6, 2015.**

n. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

For UNITED BANK OF INDIA

Sd/-

Bikramjit Shom

Company Secretary

Place:Kolkata

Dated: May 7, 2015

(THE ANNUAL REPORT IS BEING SENT SEPARATELY)

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

प्रॉक्सी फार्म(फार्म "बी")

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर होना है)

पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)	
डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि अमूर्त हो)	

मैं/हम निवासी..... जिला राज्य..... युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्द्वारा श्री/श्रीमती.....निवासी.....जिला.....राज्य.....या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती.....नवासी.....जिला.....राज्य ——— को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक.....22 जून, 2015, सोमवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता– 700027 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारकों की होने वाली 6ठी वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

दिनांक..... 2015 को इस पर हस्ताक्षर किया।

रसीदी टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	**पहले नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर**

नामः

पताः

निर्देश

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब
 - क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षरित/उसे या उसकी/उसके अटर्नी द्वारा लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी/उसके अटर्नी का जो विधिवत लिखित रूप में अधिकृत है,
 - ग) एक निगमित निकाय के मामले में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या एक अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत है। यह नोट करना कि नियुक्त करने का संकल्प का उल्लेख किसी अधिकृत प्रतिनिधि को किया जाना बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए/शक्ति के रूप में उसे/संलग्न कर रहा है।
2. प्रॉक्सी का लिखत पर्याप्त रूप से किसी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो यदि जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी/उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - क) पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 - ख) पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक **प्रति, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 4था तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001** को असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले या **17 जून, 2015 बुधवार को, बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले (अपराह्न 4:45)** जमा किया जाना चाहिए।
4. कोई लिखत प्रॉक्सी और प्रपत्र "बी" विनियमन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो।
5. बैंक के पास जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा।
6. दो वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. जो शेयर धारक प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित करते है वो असाधारण आम बैठक में मतदान देने के हकदार नहीं होगा।
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकारी या एक कर्मचारी हो।

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I/We_____resident(s) of _____in the district of_____in the state of_____ being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint Shri/Smt._____resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of_____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of **United Bank of India** to be held on **Monday, 22nd June 2015 at 10.00 A.M.** at **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027** and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of _____2015.

Please Affix Revenue Stamp

Signature of Proxy	**Signature of First named/Sole Shareholder**

Name :

Address :

INSTRUCTIONS

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors Grievance Cell, 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank on Wednesday June 17, 2015 by 4.45 p.m.**.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए)

मैं एतद्द्वारा बैंक की 6ठी वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करता हूं।

तारीखः 22 जून, 2015 सोमवार	**समयः** पूर्वाह्न 10.00 बजे	**स्थानः** भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, अलीपुर कोलकाता– 700027

शेयरधारक / प्रॉक्सि / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक आईडी** (डीमैट हैं)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

6ठी वार्षिक आम बैठक

सोमवार, 22 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान रखा जा सकता है)

शेयरधारक / प्रॉक्सि / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक आईडी** (डीमैट हैं)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारक / प्रॉक्सि अथवा शेयरधारकों के अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर सहित, प्रवेश पत्र समेत बैंक स्थल पर उपस्थित हों। फिर भी, आवश्यक होने पर प्रवेश सत्यापन / जांच के अध्याधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की डुप्लिकेट प्रति बैंक में प्रवेश हेतु जारी नहीं की जाएगी।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

6ठी वार्षिक आम बैठक

सोमवार, 22 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे

मतदान पत्र पारित करना

(मतदान पत्र को प्राप्त कर पोलिंग काउंटर में जमा करें)

स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखें (शेयरधारक / प्रॉक्सी / ए.आर.)			शेयरों की संख्या	
रजिस्टर. फोलियो (प्रत्यक्ष रूप से धारण करना)		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी (डीमैट शेयर)		
हस्ताक्षरः				

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

I hereby record my presence at the 6th Annual General Meeting of the Bank.

Date: Monday, 22nd June, 2015.	Time: 10.00 a.m.	Place: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

6th Annual General Meeting

Monday, June 22, 2015 at 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

Ballot Paper Pass

(to be surrendered to the polling counter to get Ballot Paper)

6th Annual General Meeting
Monday, June 22, 2015 at 10.00 A.M.

Name of the Shareholder/ Proxy/AR in Block Letter			No. of Shares	
Regd. Folio (Physical holding)		DP ID/Client ID (Demat Shares)		
Signature:				

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते में लौटाएं:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

59 – सी, चौरंगी रोड कोलकाता – 700020

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: United Bank of India

59C, Chowringhee Road,

Kolkata – 700020.